तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्ष कार उपस्थित पत्रावलियां अधिक होने की वजह से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी अतः पत्रावली दिनांक 10-11-25 को पेश हो
10/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप०। मिसल में वादी स्वयं प्रतिवादीगण ने उप० होकर निवेदन किया कि न्यायालय बाहर के जरिए प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है अतः उक्त वाद में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वादी की पहचान वादी अधि० द्वारा स्वयं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधि० द्वारा करवायी गयी। पक्षकारान के निवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को राजीनामा के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बैफल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 15/329

1 रातीश चन्द आत्मज श्री सूरजमल जी आयु 43 वर्ष ।
2 शशिकान्त पुत्र सूरजमल आयु 44 वर्ष जाति अहीर निवासीगण ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अरूण कुमार पुत्र श्री सूरजमल आयु 50 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम बडौद तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हरिशचन्द पुत्र श्री सूरजमल आयु 46 वर्ष जाति अहीर बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा
3. सूरजमल आत्मज देवीलाल उम्र 80 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह चौहान, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 04.08.2017

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा लोक अदालत कैम्प कोटडादीप सिंह द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र वास्ते ग्राम बडौद में खाता संख्या 584 में हिस्सा दर्ज कराने बाबत् पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि पक्षकारान की शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें सूरजमल पुत्र देवीलाल व ~~सतीशचन्द~~, हरिशचन्द, शशिकान्त आत्मज श्री सूरजमल जाति अहीर बहिस्सा बांट बराबर के दर्ज है । प्रार्थी का हिस्सा 1/2 व सतीशचन्द, हरिशचन्द, शशिकान्त आत्मज सूरजमल हिस्सा 1/2 दर्ज करवाना चाहता है और उसी अनुसार काबिज काश्त है ।

सत्य प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.06.2015 के द्वारा वादी अरूण कुमार पुत्र को ग्राम बडौद की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 6.78 हैक्टर भूमि में कम 1 से 4 के साथ बहिस्सा बराबर का सहखातेदार घोषित किये जाने का निर्णय एवं पारित की ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.06.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में बिना अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 02 को सूचना दिये ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें सूरजमल का 1/2 हिस्सा, सतीशचन्द, हरिशचन्द्र, शशिकान्त का 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । शिविर में जो प्रार्थना पत्र पेश हुआ है उसमें भी सूरजमल का 1/2 हिस्सा दर्शाया गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार सूरजमल का केवल 1/4 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी में अरूण कुमार का कोई हिस्सा नहीं है । राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निरतारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर ही निर्णय किये जाते हैं परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सूचना दिये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है उक्त निर्णय बिना प्राथमिक डिक्री पारित किये ही सीधे अंतिम डिक्री कर दिया गया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र सूरजमल के द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 हरिशचन्द्र के नाम से पेश हुआ है उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे ना ही वह कैम्प में मौजूद थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बन्दोबस्त विभाग ने वादग्रस्त आराजी में सूरजमल के तीन वारिसान का नाम दर्ज कर दिया और अरूण का नाम दर्ज नहीं किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज किया है । प्रस्तुत प्रकरण में सूरजमल ने कैम्प कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सम्पत्ति में बराबर–बराबर का नाम दर्ज करने का निवेदन किया है इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.06.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । बन्दोबस्त विभाग ने वादग्रस्त आराजी में सूरजमल के तीन वारिसान का नाम दर्ज कर दिया और अरूण का नाम दर्ज नहीं किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज किया है । प्रस्तुत प्रकरण में सूरजमल ने कैम्प कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सम्पत्ति में बराबर–बराबर का नाम दर्ज करने का निवेदन किया है इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने

सत्य प्रतिलिपि

(14)

डिक्री पारित की है । ग्राम पंचायत बडौद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर
र्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं
। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी
का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय
रा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा